क्रमांक 8460-6 जी0 एस0-70/29024

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला मण्डल; और सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट और सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 9-11-1970

विषय :—शस्त्र सेना के सदस्य जो सेवा के दौरान मर जाते हैं या लड़ाई में मारे जाते हैं उनके पुत्रों/पुत्रियों/स्त्रियों व रोजगार देना-रोजगार कार्यालय-कार्यविधि से छूट ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान उपरोक्त विषय पर तथा संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 88-4 जी0 एस0-1-66/9554 दिनांक 21-4-66 की ओर दिलाऊं और यह कहूं कि सरकार ने यह फैसला किया है कि शस्त्र सेना के सदस्य जो सेवा के दौरान मर जाते हैं या वे लड़ाई में मारे जाते हैं, उनके पुत्रों/पुत्रियों/स्त्रियों को सरकार के अधीन पदों पर रोजगार कार्यालय कार्यविधि की छूट में नियुक्त किया जावे । यह नियुक्ति की रियायत उन पदों के लिए लागू होगी जो कि केवल रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाते हैं और यह छूट उन पदों पर लागू नहीं होगी जो कि हरियाणा लोक सेवा आयोग/हरियाणा अधीनस्थ सेवा प्रवरण बोर्ड के द्वारा भरे जाते हैं । आगे यह कहना है कि उपरोक्त छूट केवल उन योग्य केसों में दी जानी चाहिए जहां पर सम्बन्धित व्यक्तियों को तत्काल सहायता की आवश्यकता हो और उनके परिवार में और कोई कमाने वाला व्यक्ति न हो ।

2. आप से अनुरोध है कि इस पत्र की पावती भेजें और इन अनुदेशों को सभी सम्बन्धित कर्मचारियों के नोटिस में परिपालन के लिए लाया जाए ।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव राजनैतिक तथा सेवाएं

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

सभी वित्तायुक्त हरियाणा और सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार । सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग चण्डीगढ़ । सचिव, अधीनस्थ सेवा प्रवरण बोर्ड चण्डीगढ । प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री हरियाणा और सचिव/निजी सचिव मन्त्रीगण/सभी संसदीय सचिव, मुख्य मन्त्री हरियाणा/मन्त्रीगण/सभी संसदीय सचिवों की सूचना के लिए ।